



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09092026-276072
CG-MH-E-09092026-276072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4719]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2026/भाद्र 14, 1948

No. 4719]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2026/BHADRA 14, 1948

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना

मुंबई, 27 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20F के तहत

का.आ. 4908(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'च' की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले जो कि महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली और नांदेड जिले में "वर्धा-नांदेड (वाया यवतमाल पुसूद)" न्यू बी.जी. रेलवे लाईन के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अपर जिल्हाधिकारी	हिंगोली
2.	अपर जिल्हाधिकारी	नांदेड

[फा. सं. G197/WR-Nanded/Hingoli & Nanded Dist/Arbitrator/20F]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[Central Railway]

NOTIFICATION

Mumbai, 27, August, 2026

Under clause 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4908(E).—In exercise of the powers conferred by **sub-section (6) of Section 20F** of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **Arbitrator** mentioned in **column (2)** of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the Special Railway Project of “**Wardha-Nanded (Via Yavatmal Pusood)**” New BG Railway line in the state of Maharashtra relating to **Hingoli & Nanded District** mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

Table

S.No	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Additional District Collector	Hingoli
2.	Additional District Collector	Nanded

[F.No. G197/WR-Nanded/Hingoli & Nanded Dist/Arbitrator/20F]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)